न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम–मुकुट सिंह(आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या–78 / 2023

दर्ज तिथि–01 / 08 / 2023

प्रार्थी

1 शांति देवी पत्नि श्री बृद्धि चन्द मीना निवासी 208 बृजविहार, जगतपुरा जयपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
2. रूघा पुत्र माधो
3. हरसहाय पुत्र चन्दा
4. लालाराम पुत्र प्रहलाद
5. विनोद पुत्र रामसहाय उर्फ रामप्रसाद
6. रामनिवास पुत्र काना

समस्त जाति मीना निवासी अभयपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर।

प्रार्थना पत्र धारा 111, 128 एल.आर. एक्ट, 1956

निर्णय दिनांक 14 / 06 / 2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर प्रार्थीगण की खातेदारी एवं काश्त की भूमि खसरा संख्या 203 / 130 रकबा 0.8030 है0., वाके ग्राम अभयपुरा पटवार हल्का पालावाला जाटान भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांभरिया तहसील बस्सी, जिला जयपुर में प्रार्थी विवादित भूमि खसरा संख्या 203 / 130 रकबा 0.8030 है0., वाके ग्राम अभयपुरा पटवार हल्का पालावाला जाटान भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांभरिया तहसील बस्सी, जिला जयपुर द्वारा किये गए सीमाज्ञान दिनांक 08 / 05 / 2023 के अनुसार पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश चाहा है। अप्रार्थी संख्या 01 का जवाब पेश जो पत्रावली में शामिल मिसल है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के वकील उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 4,5,6 को रजि0 एडि करवाये एक माह से अधिक का समय हो जाने पर भी अप्रार्थी संख्या 04 लगायत 6 आज तक उपस्थित नहीं, लिहाजा सम्यक तामील मानी जाती है। अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 6 के द्वारा कोई जवाब आदिनांक पेश नहीं किया है। अत: अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 6 का जवाब भी बन्द किया जाता है। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं वकील प्रार्थी द्वारा की गयी बहस व अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार बस्सी की रिपोर्ट दिनांक 08 / 05 / 2024 एवं प्रमाणित छायाप्रति रिपोर्ट दिनांक 11 / 06 / 2024 के अनुसार

उप खण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)

प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाता है। धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम सीमाज्ञान धारा 111 में विहित रिति से किये जाने का प्रावधान है। धारा 111 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि सीमाज्ञान वर्तमान सर्वेक्षण मैप के आधार पर किया जावेगा। ग्राम अभयपुरा के सर्वेक्षण मैप में खसर नम्बर 203/130 रकबा 0.8030 है0., वाके ग्राम अभयपुरा पटवार हल्का पालावाला जाटान भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांभरिया तहसील बस्सी, जिला जयपुर कि सीमाऐ स्पष्ट है। अप्रार्थी तहसीलदार बस्सी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी कि विवादित भूमि के पडौसी काश्तकारों को प्रार्थी के खर्चे पर सूचित करते हुऐ खसरा नम्बर 203 रकबा 0.8030 है0 का सीमाज्ञान एवं सीमाचिन्ह प्रार्थी के खर्चे पर मुताबिक धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम के प्रावाधानो अनुसार करने हेतु संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र एवं उस भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र के तीन पटवारीगणों की संयुक्त टीम गठित की जाकर यदि मौंके पर कानुन व्यवस्थार्थ पुलिस जाप्ता की आवश्यकता हो तो संबंधित पुलिस थाना से पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त कर न्यायालय हाजा के आदेश की पालना नियमानुसार करें।

यहां यह स्पष्ट है कि यह आदेश केवल सीमाज्ञान एवं सीमाचिन्ह कायम करने हेतु है इस आदेश की पालना में किसी भी पक्ष को जबरन बेदखल कर दुसरे पक्ष को कब्जा न दिलाया जावें। आदेश की प्रति तहसीलदार बस्सी को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

14/6/2024

(मुकुट सिंह)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
बस्सी (जयपुर)